# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :— राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

दायर दिनांक: 12.07.2024

प्रकरण संख्या: 95 / 24

सीसीएमएस नं. 2024 / 240

**उनवान**

1 पुष्पा पुत्री बृजकिशोर पत्नि तोताराम जाति ब्राह्मण नि. नंगला सुक्कू मजरा गौगेरा हाल नि. सिरकई तह. नदबई जिला भरतपुर राज.। ——वादिनी

**बनाम**

1 शान्ति पत्नि बृजकिशोर (मृतक) 2 कृष्णगोपाल 3 विवेक 4 सुदर्शन पुत्रान जगमोहन 5 विजयलक्ष्मी पत्नि जगमोहन 6 बृजकिशोर पुत्र परसादी जातियान ब्राह्मण नि. नंगला सुक्कू मजरा गौगेरा तह. भुसावर 7 नूतन उर्फ निर्मल पुत्री जगमोहन पत्नि कालीचरन जाति ब्राह्मण नि. नंगला सुक्कू मजरा गौगेरा तह. भुसावर हाल नि. एकदन्ता जिला मथुरा उत्तर प्रदेश 8 इन्द्रा पुत्री बृजमोहन पत्नि रूपकिशोर जाति ब्राह्मण नि. नंगला सुक्कू मजरा गौगेरा तह. भुसावर 9 राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.। ——प्रतिवादीगण

दावा डिक्लेरेशन व हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता :— ——वादिनी
1 श्री पवन तिवारी

## निर्णय दिनांक 17 / 04 / 2026

वादिनी द्वारा जरिये वकील यह दावा अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 53 रकवा 1.8500 हेक्टेयर वाके ग्राम गौगेरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर मे स्थित है, जिसमे वादिनी 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादिनी संख्या एक व प्रतिवादी संख्या 6 वाहिस्सा बराबर 1/4 हिस्सा व प्रतिवादिनी संख्या 8 वाहिस्सा बराबर 1/4, तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 5 व 7 वाहिस्सा बराबर 1/4 हिस्से के काविज काश्तकार एवं खातेदार है। तथा इसी प्रकार से मौके पर काविज रहकर शान्ति पूर्वक अपने अपने हिस्से की आराजी पर काश्त करते चले आ रहे है।

आराजी खसरा नम्बर 53 रकवा 1.8500 हेक्टेयर वादिनी एवं प्रतिवादीगण की हिन्दू संयुक्त परिवार की संयुक्त आराजी है, प्रतिवादिनी संख्या एक के पति बृजकिशोर ने उपरोक्त आराजी को ग्राम नरहरपुर तहसील वैर जिला भरतपुर मे स्थित वादिनी एवं प्रतिवादीगण की पैत्रिक आराजीयात को विक्रय कर उसके प्राप्त प्रतिफल से ग्राम गौगेरा मे उक्त विवादित आराजी कय की है। तथा रजिस्ट्री खर्चा कम होने के कारण प्रतिवादिनी संख्या एक के नाम रजिस्ट्री कराई। इस प्रकार पैत्रिक आराजी के प्रतिफल से खरीद की गई उपरोक्त आराजी वादिनी एवं प्रतिवादीगण की पैत्रिक व पुश्तैनी आराजी हो गई। जिस पर खरीद के समय से ही वादिनी एवं प्रतिवादीगण को सजरा के अनुसार खातेदारी के अधिकार प्राप्त हो गये। लेकिन खरीद के समय उक्त आराजी का विक्रय पत्र अकेली प्रतिवादिनी संख्या एक के नाम कम रजिस्ट्री खर्चा होने के कारण करा देने से राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी का इन्द्राज अकेली प्रतिवादिनी संख्या एक के नाम दर्ज होती चली आ रही है। तथा प्रतिवादिनी संख्या एक के पास आय का अन्य कोई साधन नही है व वह वादिनी के पिता द्वारा पुश्तैनी आराजी को बेचकर खरीदी है। जबकि मौके पर वादिनी एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से अनुसार मौके पर काविज रहकर शान्ति पूर्वक काश्त करते हुए अपने उपयोग व उपभोग मे लेते चले आ रहे है। परन्तु अब प्रतिवादीगण के दिल मे खातेदारी का इन्द्राज प्रतिवादिनी संख्या एक के नाम दर्ज होने की वजह से बेईमानी आ गई है, उसकी की मंशा मे अब प्रतिवादीगण पैत्रिक वादग्रस्त आराजी मे वादिनी के निहित हिस्से की आराजी से बेदखल कर महरूम करने के इरादे से किसी दीगर

यो के लिए रहन, वय व मुन्तकिल करना चाहते है। जबकि प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी को
ी दीगर व्यक्तियो को रहन, वय व मुन्तकिल करने का कोई भी कानूनी अधिकार प्राप्त नही होते है।

दिनाक 26.06.2024 को वादिनी ने प्रतिवादिनी संख्या एक से वादग्रस्त आराजी मे अपने निहित
से की खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कराने के लिए कहा, तो प्रतिवादीगण ने वादिनी को धमकी दी
हम तुझे तेरे हिस्से की आराजी को किसी भी सूरत मे नही देगे, और ना ही खातेदारी रिकार्ड मे दर्ज
ायेगे, तथा हम तो आराजी को किसी दीगर व्यक्तियो के लिए रहन, वय व मुन्तकिल कर तुझे आराजी से
खल कर महरूम कर देगे। और तुझे अब इस आराजी पर किसी तरह से काश्त भी नही करने देगे।
स कारण वादिनी वादग्रस्त आराजी मे अपने खातेदारी के अधिकारो की घोषणा करा पाने की अधिकारी
।

वादिनी द्वारा निवेदन किया गया है कि आराजी खसरा नंबर 53 रकबा 1.85 हैक्टे. वाके ग्राम गौगेरा तह. भुसावर मे प्रतिवादीनी संख्या 1 के नाम हो रहे खातेदारी के इन्द्राज को कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादिनी 1/4 हिस्सा, प्रतिवादिनी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 6 वाहिस्सा बराबर 1/4 हिस्सा व प्रतिवादिनी संख्या 8, 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादिनी संख्या 2 लगायत 5 व 7 वाहिस्सा बराबर के 1/4 हिस्से के काबिज काश्तकार एवं खातेदार घोषित फरमाया जावे।

हमने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक से कराई गई। बाद तामील कोई उपस्थित नहीं आया। अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई गई।

वादिनी वकील द्वारा साक्ष्य वादी कराने से इंकार किया। अतः साक्ष्यवादी बन्द की गई।

हमने बहस पर वादिनी वकील को सुना गया। हमने बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भली भांति अवलोकन किया गया। उक्त के आधार पर हम दावा वादिनी डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः दावा वादिनी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 53 रकबा 1.85 हैक्टे. वाके ग्राम गौगेरा तह. भुसावर में प्रतिवादीनी संख्या 1 के नाम हो रहे खातेदारी के इन्द्राज को कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादिनी 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6, 1/4 हिस्सा व प्रतिवादिनी संख्या 8, 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादिनी संख्या 2 लगायत 5 व 7 वाहिस्सा बराबर के 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किया जावे। तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जाता है कि वो वादिनी के निहित हिस्से की आराजी के कब्जे काश्त में किसी तरह की बाधा व रूकावट पैदा नहीं करें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17/04/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज.

# मूलवाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 नियम, 6–7 जाब्ता दीवानी)

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

करण संख्या: 95 / 24 दायर दिनांक: 12.07.2024

सीसीएमएस नं. 2024 / 240

**उनवान**

1 पुष्पा पुत्री बृजकिशोर पत्नि तोताराम जाति ब्राह्मण नि. नंगला सुक्कू मजरा गौगेरा हाल नि. सिरकई तह. नदबई जिला भरतपुर राज.।

––वादिनी

**बनाम**

1 शान्ति पत्नि बृजकिशोर (मृतक) 2 कृष्णगोपाल 3 विवेक 4 सुदर्शन पुत्रान जगमोहन 5 विजयलक्ष्मी पत्नि जगमोहन 6 बृजकिशोर पुत्र परसादी जातियान ब्राह्मण नि. नंगला सुक्कू मजरा गौगेरा तह. भुसावर 7 नूतन उर्फ निर्मल पुत्री जगमोहन पत्नि कालीचरन जाति ब्राह्मण नि. नंगला सुक्कू मजरा गौगेरा तह. भुसावर हाल नि. एकदन्ता जिला मथुरा उत्तर प्रदेश 8 इन्द्रा पुत्री बृजमोहन पत्नि रूपकिशोर जाति ब्राह्मण नि. नंगला सुक्कू मजरा गौगेरा तह. भुसावर 9 राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.।

––प्रतिवादीगण

दावा डिक्लेरेशन व हुक्म इम्तनाई दवामी

अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता :–

1 श्री पवन तिवारी ––वादिनी

## डिक्री दिनांक 17 / 04 / 2026

तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 53 रकबा 1.85 हैक्टे. वाके ग्राम गौगेरा तह. भुसावर में प्रतिवादीनी संख्या 1 के नाम हो रहे खातेदारी के इन्द्राज को कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादिनी 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6, 1/4 हिस्सा व प्रतिवादिनी संख्या 8, 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादिनी संख्या 2 लगायत 5 व 7 वाहिस्सा बराबर के 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किया जावे। तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जाता है कि वो वादिनी के निहित हिस्से की आराजी के कब्जे काश्त में किसी तरह की बाधा व रूकावट पैदा नहीं करें।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)